

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
बहजलास श्री कमल कुमार मीणा R.A.S

मिसल नं०
44/दावा/2017

तारीख दावर
24.07.2017

तारीख फैसल
01.12.2021

बृजमोहन आ० नाथू लाल जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी

.....वादी

बनाम

1. मदन लाल आ० नाथू जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. हनुमान आ० मदनलाल जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. कैलाश बाई पत्नि किशन गोपाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा
4. राजस्थान सरकार जर्ज तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज०)

...प्रतिवादीगण

- : : निर्णय : : -

वाद- 53, 188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद-पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:-

1. वाद-पत्र में जारी प्राथमिक बंटवारा आदेश दिनांक 01.12.2021 के सन्दर्भ में तहसीलदार तालेडा द्वारा निम्न प्रकार बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाकर पेश किया गया है जो निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	वादी खातेदार	ग्राम	ख०नं०	रकबा
1.	बृजमोहन आ० नाथू लाल जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेडा	भूमाखेडा	804/19/1	0.3238 है०

क्र.सं.	प्रतिवादी सं० 3 खातेदार	ग्राम	ख०नं०	रकबा
2.	कैलाश बाई पत्नि किशनगोपाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सुंवासा	भूमाखेडा	804/19/2	0.6474 है०

प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री पर प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प लाडपुर में पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर सहमति दी जाकर अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार तालेडा वाद


उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

अंतिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि निम्नप्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	वादी खातेदार	ग्राम	ख0नं0	रकबा
1.	बृजमोहन आ0 नाथू लाल जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेड़ा	भूमाखेड़ा	804/19/1	0.3238 है0

क्र.सं.	प्रतिवादी सं0 3 खातेदार	ग्राम	ख0नं0	रकबा
2.	कैलाश बाई पत्नि किशनगोपाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सुवासा	भूमाखेड़ा	804/19/2	0.6474 है0

यह निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया। यदि बैंक को कोई रहन हो तो बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।



(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा, जिला बन्दी
तालेडा

अंतिम डिक्री व मुकदमें इत्यादी
(आर्डर 20, रूल 6-7, जास्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास कमल कुमार मीना, आर०ए०एस०

बृजमोहन आ० नाथू लाल जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी
.....वादी

बनाम

1. मदन लाल आ० नाथू जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. हनुमान आ० मदनलाल जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. कैलाश बाई पत्नि किशन गोपाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सुवासा तहसील तालेडा
4. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज०)


...प्रतिवादीगण

वाद- 53, 188 आर.टी.एक्ट
44/दावा/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री धीरेन्द्र सिंह चौधरी एडवोकेट मिनजानिब मुदई मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार तालेडा वाद अंतिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि निम्नप्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। यदि बैंक को कोई रहन हो तो बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

क्र.सं.	वादी खातेदार	ग्राम	ख०नं०	रकबा
1.	बृजमोहन आ० नाथू लाल जाति नाई निवासी ग्राम भूमाखेड़ा	भूमाखेड़ा	804/19/1	0.3238 है०

क्र.सं.	प्रतिवादी सं० 3 खातेदार	ग्राम	ख०नं०	रकबा
2.	कैलाश बाई पत्नि किशनगोपाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सुवासा	भूमाखेड़ा	804/19/2	0.6474 है०


उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

नीज..... मुबलिक..... बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख
से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालात स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालात स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक		

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 01 माह 12 वर्ष 2021 को जारी की गई।
मोहर



(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा बस्ती